

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 986]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 — पौष 9, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-9/2024/रास/यू-7. — छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (संशोधन) अधिनियम, 2019 एवं 2025 की धारा 11(2) में निहित प्रावधान अनुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार खोज समिति नियुक्त किया गया है :-

1.	प्रो. (डॉ.) सच्चिदानन्द शुक्ल, कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	राज्य शासन द्वारा नाम-निर्देशित एक व्यक्ति।	अध्यक्ष
2.	प्रो. श्रीनिवास वरखेडी, कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 56-57, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित एक व्यक्ति।	सदस्य
3.	श्री हितेश शंकर, राष्ट्रीय संपादक, पाचवजन्य, नई दिल्ली	कार्यपरिषद् द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति।	सदस्य

2. माननीय कुलाधिपति द्वारा प्रो.(डॉ.) सच्चिदानन्द शुक्ल को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 11(5) के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी।

हस्ता./—

(निधि साहू)
राज्यपाल के उप-सचिव.